भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2148

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केरल में पीएमजेएवाई के अंतर्गत अस्पतालों को पैनल से निकालना

†2148. डॉ. शशि थरुरः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत अस्पतालों के स्वैच्छिक रूप से पैनल से निकलने के कारणों का ब्यौरा क्या है और प्रशासनिक, वित्तीय, परिचालन या अन्य कारणों से श्रेणी-वार पैनल से निकाले गए अस्पतालों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने केरल, विशेषकर उन जिलों में जहां पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या में गिरावट आई है, में एबी-पीएमजेएवाई के तहत कैशलेस उपचार की उपलब्धता पर इस प्रकार अस्पतालों को पैनल से निकालने के प्रभाव का कोई आकलन किया है; और

(ग) केरल में एबी-पीएमजेएवाई के तहत निजी अस्पतालों को पैनल में बनाए रखने में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है और दावा निपटान, पैकेज दरों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से संबंधित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत अस्पतालों को पैनलबद्ध करना एक सतत प्रक्रिया है, जो किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की आवश्यकताओं एवं उपलब्धता तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) पैनलबद्ध दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करने के आधार पर किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों के पैनल में शामिल करना पूर्णतः स्वैच्छिक है। दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, केरल राज्य में एबीपीएम-जेएवाई के अंतर्गत कुल 545 अस्पताल पैनलबद्ध हैं, जिनमें 363 निजी अस्पताल तथा 182 सार्वजनिक अस्पताल हैं।

पिछले तीन वर्षों (अप्रैल 2023 से मार्च 2026 तक) के दौरान, केरल राज्य में इस योजना के अंतर्गत कुल 240 अस्पतालों को पैनल से हटाया गया है। इनमें से 174 अस्पतालों को कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान अस्थायी रूप से पैनलबद्ध किया गया था, जिन्हें महामारी के पश्चात सेवाएं बंद होने के उपरांत पैनल से हटा दिया गया। शेष 66 अस्पतालों को प्रशासनिक, प्रचालन संबंधी अथवा अन्य कारणों से पैनल से हटाया गया।

इस योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए), केरल के समन्वय से विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों में अस्पतालों को पैनल में शामिल करने में मौजूद कमियों की पहचान करने हेतु नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करना, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं एवं अस्पताल संघों के साथ लक्षित समन्वय करना तथा पात्र अस्पतालों, विशेष रूप से दूरस्थ एवं अल्पसेवित क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों, को पैनलबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु संपर्क एवं जागरूकता गतिविधियां संचालित करना शामिल है। सूचीबद्ध अस्पतालों के नेटवर्क के विस्तार के अतिरिक्त, एनएचए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं पहुंच का आकलन करने हेतु राज्य में योजना के उपयोग के स्वरूप का नियमित रूप से विश्लेषण करता है।

दिनांक 30.06.2026 तक की स्थिति के अनुसार, केरल राज्य में एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत कुल 81.90 लाख अस्पताल भर्ती मामलों को अधिकृत किया गया है, जिनमें से लगभग 37 प्रतिशत मामलों में पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में उपचार लिया गया है।

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत दावों का निपटान एक नियमित प्रक्रिया है तथा एनएचए द्वारा जारी दावा निपटान दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा दावों का निपटान किया जाता है। दावों के समयबद्ध निपटान हेतु, अंतः राज्यीय अस्पताओं (राज्य के भीतर स्थित अस्पताल) के लिए दावा प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिकतम 15 दिनों तथा पोर्टेबिलिटी दावों (राज्य के बाहर स्थित अस्पताल) के मामलों में दावा प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिकतम 30 दिनों की समय-सीमा निर्धारित है।

एबीपीएम-जेएवाई का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु एनएचए द्वारा राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, केरल के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें अस्पतालों को पैनल में शामिल करने, दावों के प्रसंस्करण, निधियों के उपयोग तथा अन्य प्रचालन एवं प्रशासनिक विषयों की समीक्षा की जाती है।
